संख्या 02928/2020-2021

दिनांक 18/01/2021



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण

संख्या:R/FIR/14724/2020-2021

पत्रावली संख्या:AG-52838

दिनांक:2010-2011

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि जन कल्याण कारी शिक्षा समिति, माँ॰- ओमनगर, मैनपुरी रोड, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, फरोजाबाद, फरोजाबाद, फरोजाबाद, को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1538/2010-11 दिनांक-13/12/2010 को दिनांक-13/12/2020 से पांच वर्ष की अविधि के लिए नवीनीकृत किया गया है | 1100 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |



Digitally Signed By
(VINOD KUMAR SINGH)
8B206BBF34BACCF353DD390B1DA6EE14359A91F4

Date: 18/01/2021 12:07:55 PM, Location: Agra.

जारी करने का दिनांक-18/01/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश। संस्था का नाम

जनकल्याणकारी विधा समिति,

संस्था का पता

भौठ ओमनगर मैनपुरी रोड किलिबाद, फिरोजाबाद ।

संस्था का कार्यक्षेत्र

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा

संस्था के उद्देश्य

संस्था के निम्न लिखित उद्देश्य होंगे -

 समिति के उद्देश्य शिक्षा के उत्तारोत्नार विकास हेतु कार्य क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर जुनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इंण्टर कालेज आवश्यकता होने पर डिग्री कालेज, तकनीकी संस्थान, चिकित्सा संस्थान तथा तकनीकी एवं दूरस्थ शिक्षा, ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा इंजीनियरिंग संस्थानों आदि की निःशुल्क स्थापना करना और उनका विधिवत संचालन कर बालक, युवक, युवतियों को स्वाभलम्बी एवं आत्म निर्भरं बनाना ।

 समिति का उद्देश्य निर्धन, अनाथ, अपंग बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था तथा उन्हें छात्रवृत्तियाँ दिलाना व उनकी सुविधा हेतु निःशुल्क पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, कीड़ा

केन्द्रों की स्थापना करना ।

असहाय बच्चों को शैक्षणिक, भरण पोषण तथा उन्हें योग्य बनाने हेतु प्रयास करना और नि.शुल्क स्वास्थ्य कोन्द्रों, बाल आश्रम, वृद्धा आश्रम व शिक्षा संस्थानो की स्थापना करना । 🔻

4. बंदिय करने नियम बोर्ड, संबंधित विभागों के वित्तीय सहयोग से लोगों के कल्याण करने मुलभ प्रशिक्षण कर सिलाई, कड़ाई, कताई, बुनाई, हरतशिल्पकला, वस्तुकला, दस्तकारी, दरी कालीन, ड्राइंग पेंटिंग चला प्रशिक्षण तथा टंकण, आशुलिपि, कम्प्यूटर, साफुटवेयर, हार्डवेयर नेटवर्किम् के फेशन दिजाइनिंग एवं ब्यूटोशियन आहि को प्रशिक्षण दिकर विता कर उन्हें आत्मनिकर बनाना तथा जनमें नामकार की आत्मनिर्भर बेताना तथा जन्में जागरुकता पैदा करना ।

 महिलाओं वच्चों के सर्वातीण विकास हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े एवं मिलन वस्तियों में स्वच्छता, अक्ष्मण, परिवार नियोजन, मातृ शिशु पोषण, महिला एवं वाल विकास कार्यक्म, बाल ट्रीक्पूक्ट्रिंग कार्यकमों आदि को चलाना व उनके कल्याण हेतु सरकार की रोज्यार परक प्रशिक्षण देना ।

 नागरिकों में सामाजिक जन चेतना जागृत करना एवं विझापन, पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से े एड्स से बचने के उपाय सुझाना एवं एड्स पर प्रगावी अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करना और उनका राज्य, केन्द्र सरकार और विदेशी एजेन्सियां से पूर्ण सहायता लेना एवं संस्था के उद्देश्यों के प्रचार-प्रसार के लिये अखवार, पत्रिका, मीडिया, इंटरनेट इत्यादि एवं शासन-प्रशासन की सहायता लेना ।

 पेयजल समस्या को दूर करने एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु जगह जगह हैंडपंप लगवाना, पानी की टंकी का निर्माण कराना एवं उसकी सप्लाई पाइप लाइन की व्यवस्था एवं खारे पानी व फ्लोराइडयुक्त पानी की सगस्या ग्रस्त क्षेत्रों में वाटर फिल्टर पम्पों की व्यवस्था करना । नागरिकों के कल्याणार्थ वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं का सफल संचालन व उनकी उन्हें जानकारी देना । 🥠

नेत्रदान शिविरों, रक्तदान शिविरों के आयोजन शासन प्रशासन की सक्षम अनुमति के उपरांत

10. निर्धन एवं अनाथ लोगों व पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के संबंधित विभागों, मंत्रालयों जैसे स्वारथ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनीसैफ, इंडको, महिला एवं वाल विकास विभाग, कपार्ट, काई, सिप्ता, नवार्ड, अवार्ड, नौराड, डूडा, सूडा, राष्ट्रीय महिला कोष, बाल विकास पुष्टाहार, महिला कल्बाण निगम, वस्तुशिल्प हस्त मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय,

सत्य प्रतिकिषिमाज कल्याण बोर्ड, केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,

छप निवधन कार्य पोवादरोत्र एवं चित्र बागरा क्षेत्र, आत रिस्टर 12 · 2010

明秋子即言.

महातामीड

मिरकाशिह

राकेश कुमार

(Imple of my

वलराम

गीता

GEETA

R. Simil

प्रमाद

श्रम मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मत्स्य विभाग, राजीव गांधी फाउंडेशन, विश्व स्वारथ्य संगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, अनुवित्त विकास निगम, उद्योग निदेशालय, लघु उद्योग निदेशालय, अल्प संख्यक आयोग/बोर्ड, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, नेहरू युवा योजना आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यकमों को चलाकर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना ।

11. समाज के अपेक्षित लोगों जैसे अंधे, कुष्ठरोग व मूक विधरों, विकलांगों व निराश्रित लाचार, वृद्धजनों के कल्याण के लिए कार्य करना व चालाश्रम, अनाथालय एवं वृद्धाश्रम की स्थापना करना और समय-सगय पर दूध, वस्त्र, अनाज, कम्बल, फलों व दवाओं का निःशुल्क वितरण करना एवं रैन बसेरों, शौचालयां तथा पीने के लिये पानी की व्यवस्था करना ।

12. दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूकम्प, आगजनी, एक्सीडेंट आदि के समय पीड़ित जनता के मध्य राहत कार्य करना, उन्हें दवा भोजन, वस्तु आदि की मदद पहुँचाना ।

13. संस्था का उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में ज्याप व कुटी उट्टीमें की स्थापना कर अभिकों व बेरोजगारों को निःशुल्क रोजगार दिलाने का प्रयास करना तथा शिक्षण, प्रशिक्षण हेतु कच्चा माल खरीदना एवं तैयार माल को विकय करना प्राप्त आय को संस्था हितार्थ व्यय करना ।

 सरकारी, गैर सरकारी, अर्द्ध-सरकारी विभागों, मंत्रालयों, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी आयोग, निगमों, सरकारी बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों से आर्थिक सहायता, ऋण व अनुदान सेवा एवं अन्य सहयोग लेक्ट

सेवा एवं अन्य सहयोग लेना 15. संस्था का कार्यक्षेत्र वृक्ष रोण्या -प्रदूषण-िया जनसंख्या नियन्त्रण केंद्रों, नशाबन्दी कार्यकर्गां, आदि का संचालन कुळा ।

16. संस्था का उद्देश्य कूषकों को बढ़ावा देना तथा गेम्रूकम की खेती करना, देशी खाद्य, कम्पोज खाद्य, बीज एवं कोटनाशक, औषधियों का निर्माण करना तथा कृषि प्रधान देश में किसानों की सोचनीय दशा को ध्यान में रखते हुई कि किसी के प्रधान के बढ़ाया देना। किसानों में भाईचीर की भावना पैदी करना एवं हामर्याओं की सुनिझाना व शासन, प्रशासन, तक पहुँचाना । मानवीय विरस्ध्य सम्बन्धी औषधियों स्वयाओं का निर्माण करना ।

17. संस्था का उद्देश्य प्रशुधन जानवरों के स्वारध्य संरक्षण संबर्द्धन करना व उनके लिये पशु चिकित्सालय, पशुशाला की व्यवस्था करना व उनके प्रति मानवीय संवेदनाओं को प्रेरित करने व जानकारी हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन करना ।

 प्रदेश में तेजी से लुप्त मूल प्रजाति गौवंश रक्षा संबर्द्धन विकास व गौशाला की स्थापना करना एवं उसके द्वारा आयोजित सेमिनार आदि में भाग लेना व सहयोग करना ।

19. संस्था का उद्देश्य समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, चलचित्र बनाना, गोष्टियों, स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, पहल शिविरों, जन-जागृति शिविरों, कला प्रदर्शनी का आयोजन करना तथा प्रीढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, बालाश्रम, उन्मूलन कार्यक्रम, गरीब उन्मूलन, मद्यनिशेघ एवं नशा उन्मूलन के कार्यक्रम चलाना तथा सरकार का सहयोग करना ।

समाज की निर्धन कन्याओं की शादी कराना व उनका सहयोग करना, दहेज हित सामूहिक विवाह का आयोजन करना एवं परित्याक्ताओं व विधवाओं को पुनिविवाह हेतु प्रेरित करना तथा युवक—युवतियों का परिचय सम्मेलन करना एवं कराना ।

21. यह कि राज्य सरकार/भारत सरकार की विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/विश्व विद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्य कमें उपाधियों हेतु प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्र न प्रदान किया जायेगा और न ही ऐसे पाठ्यकम बिना राज्य सरकार/भारत सरकार की अनुमृति के संचालित ही किये जायेंगे ।

राजिया कुम्मर (१७७७)। (-

महा (१३) १३ म


अल्मशम

ज्ञातीता जीता

GIETA

मार्गिक प्रोजनदेनी

मामद्वी



प्रव³धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के नाम, पिता का नाम, पता, पद, व्यवसाय दिये गये हैं जिन्हें कि संस्था के व्यमानुसार कार्यभार सींपा गया है

क्र्सं. नाम -	पिता/पति का न	गम	पता	*	पद	व्यवसाय
ी मुस्तार सिंह	श्री मुख्यातीलाल	नं0 अजीत जिला मैनपु	भौरपुर पो. व शो	रेशर शाह्यु	र अध्यक्ष	स० मि०
शी राजीव हुमार	श्री मुख्तार सिंह"			*	उप मध्य	ध व्यागार
ी वीरेन्द्र तिह	न्नी बाबुराम	मी० औमन जिला किश	यर मैन्युरी रेजाबाद	रोड किरी) प्रदन्धक, संचिध	/ व्यापार
धी राजेश कुमार	श्री महाराज किंडे		भरेषु र पो.	वैरार ग्राह		
ती महाराज 'सिंह '	श्री सुरुवासीनान		A			। श्र मेंo निo
ीनती साया देवी	श्री मुख्तार तिह	. 4	4	D. Marie	तदस्य	ग्रहक 🕫
गिमती कननदेवी	श्री महाराज सिंह	-	alle	1	सदस्य	ग्रहक हर्य
शिमती गीत्।	श्री राजीव कुमा र			- 0	सदस्य	गुहकार्य
शीमती गीता	श्री राकेश कुनार	. /	1	15	सदस्य	गृहक रर्ध
ी बनराम तिह	श्री गम्भीर सिंह	•	EN- VI		सदस्य	क् रीद्ध
को प्रमोद कुमार	श्री गम्भी र सिंह	Mt.		•	सदस्य	क दिन

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता यह घोषित करते हैं कि हम निम्न स्मृति पत्र व संलग्न नियमावली के अनुसार सोसा० रजि० एक्ट

1850 के अन्तर्गत इस समिति का गठन किया गया है ।

दिनांक - 01-12-10 ली रे-डे सिंह' सहाराजीहर' (१०० विद्वाल) रोकिया क

प्राह्मान प्रतिविधि ।

प्रतिविधि ।

प्राह्मान प्रतिविधि ।

प्रतिविधि ।

प्राह्मान प्रतिविधि ।

प्रतिविधि ।

प्राह्मान प्रतिविधि ।

प्रतिविधि ।

प्राह्मान प्रतिविधि ।

प्रतिविधि ।

प्राह्मान प्रतिविधि ।

प्रतिविधि ।

प्राह्मान प्रतिविधि ।

प्रतिविधि ।

प्राह्मान प्रतिविधि ।

प्रत

नियमावली

1. संस्था का नाम

- जनकल्याणकारी शिक्षा समिति,

2. संस्था का पता

– मौं ओमनगर गैन्स्रा रोड किलोहाबाद, किरोजाबाद।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4. संस्था के उददेश्य संस्था उद्देश्य स्मृति पत्र के अंकितानुसार होंगे ।

संस्था की सदस्यता तथा सदस्यता के वर्ग :-

 संरक्षक सदस्य :- जो सञ्जन इस संरथा को एक मुश्त 1001/- क्रपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा ।

 आजीवन सदस्य :- जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 501/- क्रपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई चल या अचल सम्पत्ति देगा

वह सज्जन इस संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

 साधारण सदस्य :- जो सज्जन इस संख्था को प्रतिवर्ष 250/- रूपया सदस्यता शुल्क व चंदा के रूप में देगा वह सज्जन इस समिति का साधारण सदस्य बनाया जायेगा।

विशिष्ट सदस्य :- ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही हो जो कि संस्था की तन,मन्धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हाँ व जो विद्वान होंगे, सरकारद्वारा सम्मानित एवं क्रमान संस्था का विशिष्ट सद्भूष्ट मनीवित करेगी और यह सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे और इनकी स्वेच्छा से दिया गया हुई। घंदा संस्था की स्वीकार हामा ऐसे सदस्यों की चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने क्ये अधिकार नहीं होगा परना प्रतिबंध यह है कि ऐसे सदस्यों की सख्या 5 त्ते अधिक न होगी

सदस्यता की समाप्ति :-

सदस्य की मृत्यु हो पर पागल या दिवालिया घोषित हो ग्रेपर ।

आचरण अच्ट होने पर एवं सर्था विरोधी कार्य करने, पर.
 किसी न्यायालय द्वारा उँचेतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर।
 सदस्यता शुक्क समय से अंदो न करने पर

संस्था की लगातार तीन बैठकों में विना कारण बताये अनुपरिधत होने पर।

त्यागपत्र दिये जाने पर व उसे आम समा के द्वारा पास होने पर ।

संस्था के अहित में कार्य करने पर ।

7. संस्था के अंग :- (अ) साधारण समा,

(ब) प्रबन्धकारिणी समिति

अ. गठन :- साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा। ८. साधारण समा :-


 बैंडकें :- साधारण सभा की बैंडक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैंडक कभी भी आवश्यकता अनुसार सदस्यों की सूचना देकर बुलायी जा सकती है।

स. सूचना अवधि :- साधारण समा की सूधना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठकों की सूचना 3 दिन पूर्व सूचना के किसी उचित या पर्याप्त माव्यम से दी

द. गणपूर्ति :- गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की

य. विशेष वार्षिक अधिवेषन की तिथि :- संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेषन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से तय की

वीरेन्ड सिंह



(0)

र. साधारण समा के अधिकार एवं कर्तव्य :--

संस्था की प्रबन्ध समिति का समय-समय पर घुनाव सम्पन्न करवाना।

 नियमों-विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारण समा के 2/3 बहुमत से कराना।

 वार्षिक बजट व विधिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना।

प्रबन्धकारिणी समिति :--

अ. गठन :- प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारण सभा में से 2/3 बहुमत से 11 सदस्यों को चुनकर किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/सचिव, एक उपाध्यक्ष/उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष शेष सदस्य होंगे। प्रबन्ध समिति में सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है जो कि कम से कम 7 व अधिकतम 15 होगी।

व. वैठकें :- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में 2 बार तथा विशेष बैठक

कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है। स. सूचना अवधि: — प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सदस्यों को एक दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित माध्यम से दी जायेगी।

द. गणपूर्ति :- गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

य. रिक्त स्थान की पूर्ति :- प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई आकिस्मिक स्थान रिक्त होता है तो इस स्थान/पद की पूर्ति साद्यारण सभा के 2/3 बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति में से शेष कार्यकाल के लिये कर ली जायेगी।

र. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :--

संस्था की उन्नित एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना।

 नियमों-विनियमों में संशोधन-परिवर्तन, पुरिवर्धन साधारण समा के 2/3 बहुमत री कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत करना।

वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यकर्मों की रूपरेखा तैयार करना।

4. संस्था के विकास हेतु के लिए सस्कार एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों / मंत्रालयों एवं एक संस्थान तर के निकायों, नागरिकों आदि से दान, चन्दा, ऋण, अनुद्रम् १व विलीय सहायता प्रस्त ने रेजा तथा प्राप्त आय को संस्था ले हितार्थ चैरिटेविक की में व्यय करना।

 सस्था के विकास हैतु उप इकाइया एवं उप समितिय की स्थापना / गटन करना व उनका संचालन करना ।
 ल- कार्यकान - प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियां एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वस्तुका होगा।

10. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

1 अस्यक्ष

संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना।

 मीदिंग बुलाना व स्थिगित करना, किसी विषय पर बराबर मत होने की दशा में अपना निर्णायक मत देना।

 संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा खीकृत कार्यों को करना तथा संस्था की आम देखमाल करना।

२ संपाध्यक्षं -

अध्यक्ष की अनुपस्थित में उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों के करना ।

सामान्य रिथति में अध्यक्ष के कार्यों में उनका सहयोग करना।

वीरेन्द्रसिंह

महाराजी है विस्टर्नार सिंह

3. प्रबन्धक / सिवव

- संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना।
- 2. संस्था के कार्यकमों की रूपरेखा तैयार करना।
- संस्था की चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान-अनुदान तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय सम्पत्ति व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना । प्राप्त आय को संस्था के कोष में जमा करना ।
- संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना ।
- संस्था के अन्तर्गत संचालित संस्थानों व विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति . निष्कासन, पदोन्नित एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भरते तय करना व उनका भुगतान करना, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना।

4. उपप्रबन्धक/सचिव

- प्रबन्धक / सचिव की उपस्थिति में उनके कार्यों में सहयोग देना।
- प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा लिखित रूप से सौंपे गये कार्यों का करना।

कोषाध्यक्ष

- संस्था के आय व्यय का लेखा-जाखा रखना व कोष को खाते में जमा करना।
- प्रबन्धक/संधिव द्वारा स्वीकृत कायों को करना व बिल वाऊचरों का भगतान करना।
- 11. संस्था के नियमों—विनियमों में संशोधन प्रकिया :-संस्था के नियमों—विनियमों में संग्रीक प्रश्वितन, परिवर्धन साम्राज्य अधि० की संगत धारा के अन्तर्गत साधारण सभा अब्देश के बहुमत से करना ।
- 12. संस्था का कोष व लेखा व्यवस्था :--

संस्था का कोष किरा भी वैंक अथवादमिन्ट ऑफिस र संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जिया। जिसका स्थालन प्रबन्धक स्थिव एवं कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षरों से किया जावता

13. संस्था का लेखा परिक्षण :-

संस्था का लेखा परिक्षण प्रतिवर्ध सङ्घ समिष्टि किसी योग्य ऑडिटर व आवश्यकतानुसार चार्टर्ड एकाउन्टेट इन्स जनमा जीयेगा।

- 14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :-संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के प्रबन्धक/सचिव द्वारा अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी।
- 15. संरथा के अमिलेख :--
 - 1. सदस्यता रजिस्टर
- कार्यवाही रजिस्टर
- कैश-बुक, रशीद बुक
- 4. एजेंडा रजिस्टर
- निरीक्षण रजिस्टर
- 16. संस्था का विघटन :--

यदि मविष्य में कभी संस्था का विघटन होता है तो संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अघिनियम की घारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जावेगी।

दिनांक :- 01-12-10

, अभिन्द्र रिग्ह

सत्यप्रतिलिपि

अभाग राज्य मुख्यार मिट

PUBLIC SCHOOL

An English Medium Co-educational School Mainpuri Road, Shlkohabad, Firozabad(U.P.)

Name and Addresses of the members of the Society "Jan Kalvan Kari Siksha Samiti"

T. PAIRAR SHAUDID MAD	Contract of the Contract of th		SHOUSE WILLIAM STANSOOM COUNTY STATES	
	N. AJEETA, BHAREPUR, POST- PAIRAR, SHAHPUR MAINPUR	MR. GAMBHEER SINGH	MR. PRAMOD KUMAR	F
PURI	N. AJEETA, BHAREPUR, POST-PAIRAR, SHAHPUR MAINPURI	MR. GAMBHEER SINGH	MR. BALRAM SINGH	10.
VPURI Member	N. AJEETA, BHAREPUR, POST- PAIRAR, SHAHPUR MAINPURI	MR. RAKESH KUMAR	MRS. GEETA	9.
NPURI Member	N. AJEETA, BHAREPUR, POST-PAIRAR, SHAHPUR MAINPURI	MR. RAJEEV KUMAR	MRS. GEETA	90
NPURI Member	N. AJEETA, BHAREPUR, POST-PAIRAR, SHAHPUR MAINPURI	MR. MAHARAJ SINGH	MRS. PHOOLAN DEVI	7.
NPURI Member	N. AJEETA, BHAREPUR, POST-PAIRAR, SHAHPUR MAINPURI	MR. MUKHTAR SINGH	MRS. MAYADEVI	6.
NPURI Treasurer	N. AJEETA, BHAREPUR, POST- PAIRAR, SHAHPUR MAINPURI	MR. SUKHWASI LAL	MR. MAHARAJ SINGH	ŞA
NPURI Vice-Manager	N. AJEETA, BHAREPUR, POST-PAIRAR, SHAHPUR MAINPURI	MR. MAHARAJ SINGH	MR. RAKESH KUMAR	+
AD Manager	OMNAGAR, MAINPURI ROAD, SHIKOHABAD, FIROZABAD	MR. BABU RAM	MR. VIRENDRA SINGH	۳
NPURI President	N. AJEETA, BHAREPUR, POST- PAIRAR, SHAHPUR MAINPURI	MR. MUKHTAR SINGH	MR. RAJEEV KUMAR	12
NPURI President	N. AJEETA, BHAREPUR, POST-PAIRAR, SHAHPUR MAINPURI	MR SUKHWASI LAL	MR. MUKHTAR SINGH	77
Designation	Address	Father/Husband Name	Name	S.No.

ीक्ट्रेजिंट Virendra Singh Manager